न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2020 (निगरानी पंचायत)
GCMS No: 2020/00017

अनवान

1. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी राजेन्द्र कुमार जैन पुत्री श्री स्व. हीरालाल, निवासी महावीर नगर, ऋषभदेव, जिला–उदयपुर।
2. श्रीमती मालती जैन पत्नी स्व. मुकेश जैन, पुत्री स्व. हीरालाल, निवासी–महावीर नगर, ऋषभदेव, जिला–उदयपुर।

– निगरानीकर्तागण

बनाम

1. ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जरिये सचिव ग्राम पंचायत ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्री राजकुमार पिता स्व. हीरालाल जैन (तापड़िया), निवासी महावीर नगर, ऋषभदेव, जिला–उदयपुर।
3. श्रीमती रेखा पत्नी श्री ब्रदीनारायण पंचाल, निवासी–आदर्श नगर, ऋषभदेव, जिला–उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव पट्टा जारी आदेश दिनांक 26.09.2019 (पट्टा संख्या 18220 दिनांक 26.09.2019)

* निर्णय *

दिनांक– 18-08-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ताओं द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मौजा ऋषभदेव, जिला उदयपुर में निगरानीकर्ताओं एवं विपक्षी संख्या 2 के सयुक्त परिवार की एक पैतृक अचल संम्पति स्थित है, जो स्वर्गीय हीरालाल पिता कालूलाल जैन के स्वामित्व एवं कब्जे की थी एवं उनके निधन के उपरान्त निगरानीकर्त्ता पुत्रियां तथा विपक्षी संख्या 2 पुत्र के संयुक्त स्वामित्व मे आयी है। उक्त सम्पतियां ग्राम पंचायत ऋषभदेव के स्वामित्व के भूखण्डों का भाग थी। सर्वप्रथम निगरानीकर्ताओं के पिता ने ग्राम पंचायत ऋषभदेव मे आवेदन प्रस्तुत कर एक भूखण्ड 45 गुणा 30 फीट का रूपये 860/– [illegible] करना दर्शा कर एक पट्टा दिनांक 20.11.1987 को प्राप्त किया। कालान्तर मे पास की [illegible] श्री हीरालाल द्वारा लम्बे समय से कब्जे मे होने से उनके द्वारा विपक्षी संख्या 2 के नाम से आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड प्राप्त करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.08.19 18:00:37 IST
Reason: SelfAttested

चाहा एवं कुल रूपये 2000/— मे 45 गुणा 48 फीट कुल 2160 वर्गफीट का भूखण्ड का पट्टा दिनांक 06.11.2004 को जारी करवाया। उक्त दोनो पट्टो का समेकित भूखण्ड 85 गुणा 45 फीट का है, जो निगरानीकर्ताओं के पिता की अनन्य सम्पति हो उसके एक भाग पर मकान बनाया गया है। निगरानीकर्ताओं के पिता की मृत्यु उपरान्त विपक्षी संख्या 2 ने भूमि को अकेले हड़पने के उद्देश्य से तत्कालीन अधिकारियो से मिलीभगत कर पूर्व मे बने हुए पट्टे का अन्य पट्टा बापी पट्टे के रूप दिनाक 26.09.2019 को जारी करा दिया। उक्त बापी पट्टा पहले से निश्चित स्वामित्व वाली भूमि का पुनः जारी किया गया है, जबकि बापी पट्टा अनिश्चित स्वामित्व की सम्पति का होता है। मौके पर खाली भूखण्ड है, फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा मकान के आधार पर बापी पट्टा जारी कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने आवेदन पत्र मे 50 वर्ष पुराना भवन होना व कोई पट्टा न होने का उल्लेख किया है, जबकि निगरानीकर्ताओं के पिता ने प्रथम बार भूखण्ड दिनांक 20.11.1987 को क्रय किया अर्थात् 33 वर्ष से पुराना कोई कब्जा नही था। उक्त पट्टे को जारी कराने के संबध मे संधारित की गई पत्रावली संख्या 30/2019 ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 10 दिनों मे निस्तारित की गई है। पूरी आदेशिका पर कही भी किसी भी पंचायत के अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। आपत्ति पत्र पर भी कोई हस्ताक्षर नही है, न कोई आपत्ति पत्र जारी हुआ, न चस्पा किया गया, न मौका पर्चा तैयार किया गया, फिर भी समिति का मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन करना, मकान की नपती करना दर्शाया गया है, जो मिथ्या है। तत्कालीन सरपंच द्वारा उक्त पट्टे को फर्जी निष्पादित कर उसमे संकल्प की दिनांक 20.09.2019 अंकित है, जबकि उक्त तिथि को कोई संकल्प ही पारित नही हुआ। विपक्षी संख्या 2 ने इस भूखण्ड को दिनांक 22.06.2020 को विपक्षी संख्या 3 को विक्रय कर दिया एवं विलेख का पंजीकरण भी दिनांक 03.07.2020 को करा लिया। उक्त पट्टा प्रांरभ से ही शून्य होने से पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही भी शून्य है। विपक्षी संख्या 3 उक्त भूखण्ड जिसका आधार शून्य दस्तावेज हैं, उसके आधार पर स्वरूप परिवर्तन करने पर आमदा है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी 2 के पक्ष मे दिनांक 26.09.2019 को जारी बापी पट्टा निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से श्री छोटूलाल, अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 3 की श्री विक्रम बाबेल अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब विपक्षीगण अप्राप्त रहने से विपक्षीगण की ओर से जबाव बंद किया गया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव से मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को निगरानीकर्ताओ के अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण मे निगरानीकर्ताओं के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस प्रांरभ करते हुए निगरानीकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथित पट्टा अवैध जारी करना, भूमि [illegible] होना, तत्कालीन अधिकारीयों एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.08.19 18:00:37 IST
Reason: SelfAttested

कर्मचारियो की मिलीभगत होना, पत्रावली की आदेशिका पर किसी के हस्ताक्षर न होना, आपत्ति पत्र जारी न होना आदि आधारों पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को अवैध बताते हुये निरस्त करने की मांग की।

हमने निगरानीकर्ताओं के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी, पत्रावली मे उपलब्ध निगरानी, ग्राम पंचायत ऋषभदेव की पत्रावली आदि अवलोकन किया एवं उनमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्राप्त मूल पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 2 श्री राजकमार पुत्र हीरालाल द्वारा पुराने मकान का बापी पट्टा चाहने बाबत् विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे पत्रावली संख्या 30/2019 संधारित कर पट्टा संख्या 18220 दिनांक 26.09.2019 को जारी किया गया है, किन्तु आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र पर न तो दिनांक का अंकन किया गया है, न ही किसी आराजी का उल्लेख किया गया है एवं ग्राम पंचायत की पत्रावली की आदेशिका पर मात्र सरपंच की मोहर लगी हुई है। आदेशिका पर न तो सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर है एवं न ही कोरम रजिस्टर की छायाप्रति पत्रावली पर मौजुद है। आपत्ति पत्र पर भी हस्ताक्षरों का अभाव है। विपक्षीगण द्वारा नोटिस प्राप्त हो जाने के बावजूद भी प्रकरण मे जानबूझकर कोई जवाब पेश नही किया है। ऐसी स्थिति मे कथित पट्टा बिना किसी प्रक्रिया के जारी होना प्रथम दृष्टया स्पष्ट परिलक्षित होने से निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः निगरानीकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा मिसल संख्या 30/2019 द्वारा दिनांक 26.09.2019 को विपक्षी संख्या 2 श्री राजकुमार पिता स्व. हीरालाल जैन (तापड़िया), के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18220 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज 18.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.08.19 18:00:37 IST
Reason: SelfAttested